दिनांक–01.02.2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिय गये निर्णय।

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम	विषय	निर्णय
1.	अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण के तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने की परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।	**इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि राज्य आपदा कोष के स्थान पर राशि की व्यवस्था विभागीय बजट से की जाएगी।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम	विषय	निर्णय
2.	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना को वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्थापना व्यय हेतु ` 90,00,000/–(नब्बे लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

क्रम	विषय	निर्णय
3.	राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत राज्य उच्च पथों के विकास हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पैकेज सं०–12(राज्य उच्च पथ सं०–57, 58, 60, 62, 65 एवं 66), 17ए (राज्य उच्च पथ सं०–7) एवं 20(राज्य उच्च पथ सं०–8) कुल लम्बाई 174.70 कि०मी० (यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तम्भ 5 में अंकित कुल लम्बाई) का पुल/पुलियों का निर्माण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल ` 30155.24690 लाख (तीन अरब एक करोड़ पचपन लाख चौबीस हजार छः सौ नब्बे रूपये मात्र) की अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तम्भ–7 में अंकित) पर करने हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

क्रम	विषय	निर्णय
4.	राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत राज्य उच्च पथों के विकास हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पैकेज सं०–2(राज्य उच्च पथ सं०–47, 53 एवं 54), 7 (राज्य उच्च पथ सं०–2, 12 एवं 15), 10(राज्य उच्च पथ सं०–12 एवं 67), 11(राज्य उच्च पथ सं०–60, 62, 63 एवं 65), 14(राज्य उच्च पथ सं०–19 एवं 22), 17(राज्य उच्च पथ सं०–6 एवं 18) एवं 19(राज्य उच्च पथ सं०–4 एवं 7) कुल लम्बाई 747.866 कि०मी० (यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तम्भ–6 में अंकित कुल लम्बाई) का पुल/पुलियों का निर्माण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल ` 119264.85522 लाख (ग्यारह अरब बिरानबे करोड़ चौसठ लाख पचासी हजार पाँच सौ बाइस रूपये मात्र) की अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तम्भ–8 में अंकित) पर करने हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

5. राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत राज्य उच्च पथों के विकास हेतु इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड की पैकेज सं०–1ए (राज्य उच्च पथ संख्या–49), 1बी (राज्य उच्च पथ संख्या–50 एवं 55), 1सी(राज्य उच्च पथ संख्या–56) एवं 1डी(राज्य उच्च पथ संख्या–51 एवं 52) के तहत 329.569 कि०मी० लम्बाई में पुल/पुलियों का निर्माण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य ` 88878.86127 लाख एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पैकेज सं०–1 (राज्य उच्च पथ सं०–54), 3(राज्य उच्च पथ सं०–52 एवं 64), 5(राज्य उच्च पथ सं०–13, 14 एवं 17), 6(राज्य उच्च पथ सं०–1 एवं 4), 9(राज्य उच्च पथ सं०–15 एवं 17)13(राज्य उच्च पथ सं०–59 एवं 66), 15(राज्य उच्च पथ सं०–25 एवं 55), 16(राज्य उच्च पथ सं०–6, 16, 19, 22, 23 एवं 25) एवं 18(राज्य उच्च पथ सं०–6, 8, 18 एवं 22) के तहत 792.72 लम्बाई में पुल/पुलियों का निर्माण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल ` 123368.58843 लाख अर्थात् कुल लम्बाई 1122.289 कि०मी०(यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तम्भ–5 में अंकित कुल लम्बाई) का पुल/पुलियों सहित उन्नयन कार्य कुल ` 212247.44970 लाख (इक्कीस अरब बाईस करोड़ सैंतालिस लाख चौवालीस हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) की अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तम्भ–7 में अंकित) पर करने हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. पटना शहर के मौजा पहाड़ी थाना नं० 14 में नए बस टर्मिनल के निर्माण हेतु अर्जनाधीन 25.02 एकड़ भूमि के लिए पूर्व आवंटित ` 25.00 करोड़ के अतिरिक्त ` 40. 00 करोड़ के निकासी की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. वर्ष 2011–12 में राज्य योजना अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता मद हेतु ` 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये मात्र) की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल अन्तर्गत ग्राम– नगरपालिका वार्ड नं०–8, खाता नं०–238, खेसरा नं०–228घ एवं खेसरा नं०–228च, रकवा–0.07 एकड़ (सात डी०) बिहार सरकार खास महाल परती कदीम सांख्यिकी कार्यालय भवन, मुजफ्फरपुर के निर्माण हेतु सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. श्री जियाउद्दीन अहमद (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 694/04, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. श्री राम जतन पाल, सब जज, सुपौल, को लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम–74 (बी) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कराने के संबंध में। — स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर सचिव कोटि, पे–बैंड ` 37,400–67,000/–ग्रेड पे ` 8,900/–से विशेष सचिव के पद, पे–बैंड ` 37,400–67,000/–ग्रेड पे ` 10,000/–में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. महादलित समुदाय के 06–10 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में संचालित उत्थान केंद्रों (गैर आवासीय) के टोला सेवकों के बकाये मानदेय के भुगतान हेतु 1262.29 लाख रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में संचालित उत्थान केंद्रों (गैर आवासीय) के संचालन के लिए 17137.71 लाख रूपये अर्थात् कुल 18400.00 लाख रू० (कुल एक अरब चौरासी करोड़ रूपये मात्र) राशि की राज्य योजना मद से व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2011–12 में 34 (चौंतीस) मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ` 1581.67 लाख (पन्द्रह करोड़ इकासी लाख सड़सठ हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में 6 शिक्षक एवं 1 प्रधानाध्यापक पद पर नियोजन की स्वीकृति। — स्वीकृत।

वित्त विभाग

14.	बिहार न्यायायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–21.03.2002 एवं 19. 07.2010 को पारित आदेश के आलोक में शेट्टी आयोग एवं न्यायमूर्ति पद्नाभन समिति द्वारा अनुशंसित आवास भत्ता की स्वीकृति।	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

15.	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आयुक्त उत्पाद (पे० बैण्ड पी०बी०–2–9300–34800+ग्रेड पे० 5400 रू०) के पद से उपायुक्त उत्पाद (पे० बैण्ड पी०बी०–3–15600–39100+ग्रेड पे० 7600 रू०) के एक रिक्त पद और अधीक्षक उत्पाद (पे० बैण्ड पी०बी०–2–9300–34800 +ग्रेड पे० 4600 रू०) के पद से सहायक आयुक्त उत्पाद (पे० बैण्ड पी०बी०–2–9300–34800+ग्रेड पे० 5400 रू०) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16.	बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न वर्ग के कर्मियों के कुल 415 पदों के पद सृजन के संबंध में।	संलेख की कंडिका– 2 का प्रस्ताव स्वीकृत। कंडिका–4 के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए विभाग सक्षम।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17.	समस्तीपुर जिला एवं अंचल के मौजा लगुनिया, सूर्यवंठ थाना सं०–197, खाता सं०–1924, खेसरा सं०–169, रकवा–1.42 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि जो बिहार सरकार के कब्जे में है, का बाल संरक्षण ईकाई एवं बालगृह निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18.	बिहार भूदान यज्ञ कमिटि को वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के कुल बकाया 8391073 रू० के विरूद्ध तत्काल 4569000 रू० (पैंतालिस लाख उनहत्तर हजार रू०) का अतिरिक्त सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा राज्य योजनान्तर्गत पटना जिलाधीन बेली पथ में शेखपुरा एवं जगदेव पथ मोड़ के बीच 91 x 25.00 मीटर आकार के पहुँच पथ, रिटेनिंग वाल, सर्विस पथ, पथ जंक्शन, विद्युतीकरण एवं भूमि अधिग्रहण आदि सहित चार लेन उपरी पुल (Fly Over) का निर्माण कार्य कुल 16197.64 लाख (एक सौ इकसठ करोड़ सनतानवे लाख चौंसठ हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20. नाबार्ड ऋण परियोजना (आर॰आई॰डी॰एफ॰–XVI) के तहत पटनासिटी पथ प्रमंडलाधीन बाढ़–शहरी–सरमेरा पथ के कि॰मी॰ 13 (अंश) से 25 (अंश) तक (कुल 11. 45 कि॰मी॰ पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पुल/पुलिया निर्माण, एवं पीचिंग कार्य आदि सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2859.25 लाख (अठाईस करोड़ उनसठ लाख पच्चीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

21. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत डेहरा (2X500 कि०वा०) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु रू० 1421.00 लाख (चौदह करोड़ इक्कीस लाख) की योजना की स्वीकृति एवं इसके विरूद्ध नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ० XVII के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रू० 1319.33 लाख (तेरह करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार) निर्धारित शर्त्तों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यांश के रूप में रू० 101.67 लाख (एक करोड़ एक लाख सड़सठ हजार) बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

22. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत सिपहा (2x500 कि०वा०) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु रू० 1302.00 लाख (तेरह करोड़ दो लाख) के योजना की स्वीकृति एवं इसके विरूद्ध नाबार्ड द्वारा आर० आई० डी० एफ० XVII के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रू० 1207.60 लाख (बारह करोड़ सात लाख साठ हजार) निर्धारित शर्त्तो पर स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यांश के रूप में रू० 94.40 लाख (चौरानवे लाख चालीस हजार) — स्वीकृत।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

23.	डा० मसीहुर रहमान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनमनखी, पूर्णियाँ को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी आदेश को विलोपित करने तथा योगदान की तिथि से सेवा में लेने के संबंध में।	**स्वीकृत।**